

प्रेस-विज्ञप्ति

1. थाना-जहानागंज

एक अदद तमंचा 315 बोर व तीन अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 26.6.2021 को वादी ज्ञानवेन्द्र सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह ग्राम असोना थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत दर्ज करायी कि अभियुक्तगण द्वारा मेरे ऊपर तमंचा तानकर मोबाइल छिनने का प्रयास किये असफल होने पर भाग गये। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 145/21 धारा 393 भादवि बनाम 1. आनन्द राव उर्फ गोलू पुत्र सुराली राम 2. केवल राम पुत्र भोलानाथ निवासीगण सहाबुद्धीनपुर थाना मुहम्दाबाद गोहना जनपद मऊ के पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं छिनैती करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 27.06.2021 को उ०नि० योगेन्द्र कुमार थाना जहानागंज मय हमराह द्वारा मु०अ०स० 145/2021 धारा 393 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. आनन्द राव उर्फ गोलू पुत्र सुराली राम 2. केवल राम पुत्र भोलानाथ निवासीगण सहाबुद्धीनपुर थाना मुहम्दाबाद गोहना जनपद मऊ को बजहा पुलिया थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ से समय करीब 11.35 बजे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त आनन्द राव उर्फ गोलू पुत्र सुराली राम निवासी सहाबुद्धीनपुर थाना मुहम्दाबाद गोहना जनपद मऊ के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ तथा अभियुक्तकेवल राम पुत्र भोलानाथ निवासीगण सहाबुद्धीनपुर थाना मुहम्दाबाद गोहना जनपद मऊ के कब्जे से दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। बरामद तमंचा व कारतूस के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 146/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम आनन्द राव तथा 147/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम केवल राम के पंजीकृत कर अभियुक्तगणों का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

1. मु०अ०स० 146/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।
2. मु०अ०स० 147/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-आनन्द राव उर्फ गोलू पुत्र सुराली राम

1. मु०अ०स० 145/2021 धारा 392 भादवि थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।
2. मु०अ०स० 146/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास:-केवल राम पुत्र भोलानाथ

1. मु०अ०स० 145/2021 धारा 392 भादवि थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।
2. मु०अ०स० 147/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

एक अदद तमंचा .315 बोर तथा तीन अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

1. उ०नि० योगेन्द्र कुमार थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।
2. हे०का० जगदीश यादव थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।
3. का० अभय प्रताप सिंह थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।
4. म०का० शिल्पा तिवारी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

2. थाना कोतवाली

दो नकबजन अभियुक्त गिरफ्तार, नकबजनी का 58,500 रूपया नगद व जेवरात बरामद

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी नगर निष्ठा उपाध्याय के कुशल निर्देशन में प्र०नि० कृष्ण कुमार गुप्ता के नेतृत्व में अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु उ०नि० विनय कुमार दुबे, चौकी प्रभारी पहाड़पुर मय हमराह का० अमरजीत निषाद, का० विकास कुमार, का० धीरज कुमार, का० राहुल चौधरी थाना कोतवाली के द्वारा मुखबिर की सूचना पर हथियापुल तिराहा दलालघाट से मु०अ०सं० 187/21 धारा 457/380 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. आकाश गौड़ पुत्र स्व० शंकर गौड़ साकिन काशीराम आवास डी०ए०वी० मु०नं० 57/673 थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ 2. चन्दन गौड़ पुत्र स्व० हंसराज गौड़ साकिन कोट बाजबहादुर थाना कोतवाली आजमगढ़ को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गये 58,5000 रु० नगद व एक अदद सोने की चेन, एक जोड़ी झुमका सोने का, दो अदद नाक की किल बरामद किया गया। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु०अ०सं० 187/21 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. आकाश गौड़ पुत्र स्व० शंकर गौड़ साकिन काशीराम आवास डी०ए०वी० मु०नं० 57/673 थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
2. चन्दन गौड़ पुत्र स्व० हंसराज गौड़ साकिन कोट बाजबहादुर थाना कोतवाली आजमगढ़

बरामदगी माल का विवरण

1. कुल 58,5000 रु० नगद
2. एक अदद सोने की चेन, एक जोड़ी झुमका सोने का, दो अदद नाक की किल ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ०नि० विनय कुमार दूबे प्रभारी चौकी पहाड़पुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ।
2. का० अमरजीत निषाद थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ।
3. का० विकास कुमार थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ।
4. का० राहुल थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ।
5. धीरज कुमार थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ।

3. थाना-रौनापार

एक नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

उ०नि० श्री राजेश कुमार पाण्डेय तैनाती थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर के लिखित तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मु०अ०सं० 89/21 धारा 147/332/353/186 भादवि .बनाम (1) नौसाद अहमद पुत्र मुमताज अहमद सा० चाँदपट्टी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 2. तौफीक अहमद उर्फ गुड्डू पुत्र जलालुद्दीन निवासी रानीपुर रजमो थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ तथा 15-20 लोग और नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 27.06.2021 को उ०नि० राजेश कुमार मय हमराह द्वारा मु०अ०सं० 89/21 धारा 147/332/353/186 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित एक नफर अभियुक्त सिकन्दर पुत्र तौफिक सा० चाँदपट्टी थाना रौनापार आजमगढ़ को करखिया मोड़ के पास से समय करीब 09.25 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु०अ०सं० 89/21 धारा 147/332/353/186 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

सिकन्दर पुत्र तौफिक सा० चाँदपट्टी थाना रौनापार आजमगढ़ आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ०नि० राजेश कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. का० ज्ञान प्रकाश सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
3. का० अखिलेश पाण्डेय रौनापार जनपद आजमगढ़

4. थाना- गम्भीरपुर

जानलेवा हमले का अभियुक्त गिरफ्तार

श्री राममूरत यादव सा० बहादुरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत दर्ज करायी कि मेरे पुत्र अतुल को जान मारने की नियत से अज्ञात बदमाशों ने असलहे से फायर कर दिया जिससे मेरे पुत्र अतुल के दाहिने पसली में गोली लग गयी। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 143/2020 धारा 307 भादवि पंजीकृत हुआ। जिसमें मजरुब के बयान के आधार पर धारा 504,506,34 भादवि का बढोत्तरी किया गया तथा अभियुक्त पाँचू यादव पुत्र हरदेव सा० कोलौली थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी के तहत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में प्र०नि० गम्भीरपुर श्रीमती ज्ञानू प्रिया के सतत पर्यवेक्षण में आज दिनांक 27.6.21 को वरिष्ठ उ०नि० नवल किशोर सिंह मय हमराह हे० का० इन्द्रपाल यादव, का० उदयभान, का० सौरभ सरोज द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 143/20 धारा 307,504,506,34 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त पाँचू यादव पुत्र हरदेव सा० कोलौली थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ को मुखबीर की सूचना पर गम्भीरपुर बाजार तिराहा से समय 11.35 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को कारण गिरफ्तार बताकर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु०अ०सं० 143/20 धारा 307,504,506,34 भादवि थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त

पाँचू यादव पुत्र हरदेव सा० कोलौली थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0-143/20 धारा 307,504,506,34 भादवि थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ ।
2. मु0अ0सं0 56/14 धारा 302 भादवि थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ
3. मु0अ0सं0- 94/14 धारा 3(1) गैगस्टर एक्ट थाना गम्भीरपुर आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

वरिष्ठ उ0नि0 नवल किशोर सिंह मय हमराह हे0 का0 इन्द्रपाल यादव , का0 उदयभान , का0 सौरभ सरोज थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ ।

5. थाना-तरवाँ

छेड़खानी के मामले से सम्बन्धित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 24.06.2021 को थाना क्षेत्र तरवाँ निवासिनी एक महिला द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत दर्ज करायी कि दिनांक 16.06.2021 को बबलू जैसवार पुत्र प्रभुनाथ जैसवार निवासी ग्राम पकड़ी कला थाना तरवाँ जनपद आजमगढ द्वारा मेरे साथ घर में घुसकर छेड़खानी की व जान से मारने की धमकी भी दी । इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0- 91/2021 धारा 354/354(ख)/354घ/452/506 भा0द0वि0 बनाम बबलू जैसवार पुत्र प्रभुनाथ जैसवार निवासी ग्राम पकड़ी कला थाना तरवाँ जनपद आजमगढ के पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी ।

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वाछित,ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी बिषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर जनपद आजमगढ श्री पंकज कुमार पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री मनोज कुमार रघुवंशी के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 27.06.2021 को उ0नि0 नकी हैदर रिज्वी थाना से रवाना होकर पकड़ी चौकी पर पहुचे कि वहां पर का0 काशी कुमार व का0 विकेश कुमार गौड़ चौकी पर मौजूद मिले । हमलोग आपस मे अपराध एवं अपराधियों के विषय मे बात-चीत कर रहे थे कि उसी दौरान मुखविर से सूचना मिली की उपरोक्त मुकदमें का मुलजिम बबलू जैसवार कही जाने के लिये पकड़ी परसौली तिराहे पर मेडीकल स्टोर के पास वाहन की प्रतीक्षा कर रहा है । इस सूचना पर उ0नि0 मयहमराह द्वारा चौकी से रवाना होकर पकड़ी परसौली तिराहा पर पहुचकर उक्त व्यक्ति बबलू जैसवार को समय 10.40 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0स0- 91/2021 धारा 354/354(ख)/354घ/452/506 भा0द0वि0 थाना तरवाँ जनपद आजमगढ
गिरफ्तार अभियुक्त

बबलू जैसवार पुत्र प्रभुनाथ सा0 पकड़ी कला थाना तरवाँ जनपद आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 नकी हैदर रिज्वी व का0 काशी कुमार व का0 विकेश कुमार गौड़ थाना तरवाँ जनपद आजमगढ ।

नोट:- जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु 38 व्यक्तियों का चालान 151 सीआरपीसी में माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।